समक्ष :– माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर, ग्वालिय म.प्र.

(141)

राजस्व रिवीजन क्र.– 2017
PBR/निगरानी/बैतूल/भू.रा/2017/6065

श्यामलाल व0 तुलसीराम कुन्बी
निवासी– भैसदेही तह0 बैतूल जिला बैतूल

रिवीजन कर्ता (पेटीसनर)

विरूद्ध

ओमरती जौजे बिसराम कुन्बी
साकिन – भैसदेही तह0 बैतूल जिला बैतूल

गैररिवीजनकर्ता

श्री .... 13.12.17 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 4.1.18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959

यह रिवीजन श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी बैतूल के न्यायालय के समक्ष प्रकरण क्रमांक –2 अपील –17/18 प्रथम अपील प्रकरण मे पक्षकार ओमरती विरूद्ध श्यामलाल मे पारित आदेश दिनांक 24/11/17 जिसमे अपीलार्थी ओमरती की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बैतूल के न्यायालय का राजस्व प्रकरण क्र0–4/अ–13–15/16 पक्षकार ओमरती विरूद्ध श्यामलाल प्रकरण अंतर्गत धारा 131 भू–राजस्व संहिता 1959 मे पारित आदेश दिनांक 30/08/17 निरस्त किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय को रिमांड कर निर्देशित किया गया है कि खसरा नं0 115 शासकीय नाला वाला रास्ते का स्थल निरीक्षण स्वयं के द्वारा किया जावे तथा गैर अपीलार्थी श्यामलाल द्वारा अवरूद्ध किये गये मार्ग को खसरा न0 75/9 मे आने–जाने हेतु रूढ़ि के संबंध मे आवश्यक साक्ष्य लिये जाकर गुण दोषो के आधार पर निराकरण किया जाये। इससे दुखी होकर यह रिवीजन प्रस्तुत है। जबकि यर्थात मे ओमरती का ख0न0 74/9 रकबा 0.607 है, न कि ख0न0 75/9 । प्रथम अपील न्यायालय द्वारा खसरा क्र0 75/9 गलत लिखा गया है। जबकि खसरा नं. 75/9 का इस रिकार्ड से कोई संबंध नही है। यहां तक कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने कानून देखे बिना और प्रकरण पूरा समझे बिना मनमाने तरीके से आदेश दिनांक 24/11/17 पारित किया है। म.प्र.भू–राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2011 (क्र0–42 वर्ष 2011) मे संशोधित संहिता की धारा 49 का उल्लघन करते हुये माननीय प्रथम अपील न्यायालय ने प्रकरण रिमांड, अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार को किया है, जो कि विधि का उल्लघन होते हुये किया है। आदेश दिनांक 24/11/2017 द्वारा पक्षकारो के बीच विवाद का अंतिम निराकरण नही हुआ है। तथा आदेश मे पक्षकारो के अधिकार के बारे मे निर्णय भी नही हुआ है। केवल प्रकरण रिमांड हुआ है वह भी आगे जॉच करने के लिये जैसे स्थल निरीक्षण एवं साक्ष्य लेकर गुणदोषो के आधार पर निराकरण हेतु अतएव आदेश दिनांक 24/11/2017 इंटेरिम नेचर का है, जिसकी अपील नही होती अतः यह रिवीजन प्रस्तुत है।

13-12-17
K.K. Dwivedi

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि अपीलार्थी ओमरती ने तथा कथित चालू मार्ग पर बंदी बांधकर रास्ते पर फसल बोकर अवरूद्ध मार्ग खुलवाने हेतु आवेदन तहसील न्यायालय मे दिया था। यह आवेदन पत्र धारा 131 म.प्र.भू.रा.सं. का प्रचलन योग्य नहीं पाया गया और रूढ़ी बावत् कोई स्पष्ट अभिवचन भी नही था। माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने आवेदन दिनांक 30/08/2017 को निरस्त किया जो कि बिल्कुल सही है। आवेदिका ने खसरा नंबर 74/9 जो गणेशराम से दिनांक 28/10/94 को खरीदी उस संबंध मे

नि.अ. श्यामलाल
ब.क. ओमरी

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/बैतूल/भूरा/2017/6065

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-10-18	आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अधिवक्ता उपस्थित । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूपअब नवीन संशोधित संहिताकी धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । आवेदकपक्ष दिनांक 27-12-2018 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । अध्यक्ष	